राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)

(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक 4(21)ग्रावि/अनु–8/2016/नी.सी/ दिनांक: 2/9/16

विडियो कॉन्फ्रेन्स कार्यवाही विवरण

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 30 अगस्त 2016 को शासन सचिवालय के उत्तरी पश्चिमी भवन स्थित समिति कक्ष (विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष) से जिला परिषद के उपस्थित मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारियों के साथ जिलेवार एवं योजनावार समीक्षा की गई, जिसमें निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये:–

1. ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं में राज्य औसत से जिन जिलों की प्रगति 50 प्रतिशत से कम है उन जिलों को योजनावार पत्र लिखा जाये और यदि जिले में लगातार 2 माह में भी स्थिति नहीं सुधारते है तो 2 माह पश्चात उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

   (समस्त योजना प्रभारी)

2. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिन योजनाओं में राज्य औसत से 50 प्रतिशत कम है आगामी 7 दिवस में कार्यवार समीक्षा करेगें और अपनी रिपोर्ट अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव महोदय को भेजेगे।

   (समस्त योजना प्रभारी)

3. सरपंचों द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 2 माह व्यतीत होने के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने पर उन्हें कार्य शुरू करने हेतु विधिवत 15 दिवस का नोटिस जारी किया जाए। इसके पश्चात भी कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो ऐसे मामलों में सरपंचों के खिलाफ धारा 38 में कार्यवाही के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को मुख्यालय से अधिकृत किया जाए।

   (अधीक्षण अभियन्ता, आवास)

4. जिला धौलपुर में डांग योजना में 61 कार्य निरस्त किया गया है उनका कारण एवं मगरा योजना में 30 कार्य निरस्त किये गये है और 68 कार्य अप्रारम्भ बताये गये है जिसका संतोषप्रद जवाब मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है, पत्र के माध्यम से अवगत करायेंगे।

   (पीडी (एसएपी–।।)

5. जिला नागौर व राजसमंद में जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ एवं पंचायतराज में एक भी अधिशाषी अभियन्ता पदस्थापित नहीं है। अतः राज्य स्तर से तुरंत नियुक्ति की जाए।

   (संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

6. ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न जिला परिषदों के माननीय न्यायालयों में प्रकियाधीन प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा सीईओं जिला परिषद को अवमानना प्रकारणों का जवाब

शीघ्र प्रस्तुत करने, रेड केटेगरी के प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा कर निस्तारण की कार्यवही करने एवं प्रकरणों की लाइट्स पर पूर्ण प्रविष्टि करने के निर्देश दिये गये।
इसके अतिरिक्त लाइट्स वेबसाइट पर विशिष्ट एवं अपडेशन की अद्यतन सूचना के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र देने हेतु समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि वे जिलों एवं पंचायत समिति में लाइट्स की प्रविष्टि एवं अपडेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया।

(संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

7. आवास योजना में 15 दिवस में Tag officer लगाकर उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए।

(अधीक्षण अभियन्ता, आवास)

8. आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए ग्राम पंचायत की होने वाली बैठक में Tag officer की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और साथ ही लाभार्थियों को भी इनकी जानकारी दी जाए ताकि वे अपनी किश्तों को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत में सम्पर्क कर सके। इनका पूर्ण प्रचार–प्रसार किया जाए।

(अधीक्षण अभियन्ता, आवास)

9. आवास योजना में यह देखा गया है कि आवास लम्बे समय से पूर्ण है लेकिन भौतिक सत्यापन के अभाव में भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसमें मूल रूप से विकास अधिकारी दोषी है। ऐसे मामलों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंभीरता से ले और यह सुनिश्चित करें कि किसकी लापरवाही से इनके भुगतान में देरी हो रही है। ऐसे मामलों में विकास अधिकारी को 7 दिवस का नोटिस देगें एवं 7 दिवस पश्चात भी आवास किस्त के भुगतान की कार्यवाही नहीं हो तो विकास अधिकारी को चार्जशीट देगें।

(अधीक्षण अभियन्ता, आवास)

10. आवास योजना की प्रगति समीक्षा प्रत्येक सप्ताह की जाए और उस समीक्षा के आधार पर जिलों को आवश्यक निर्देश दिये जाए तथा जो जिले लगातार परमोरमेन्स में पिछड़ते है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

(अधीक्षण अभियन्ता, आवास)

11. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं आवास योजनाओं को ग्रामीण विकास विभाग की प्रथम वरीयता बनाकर सघन कार्यवाही की जाए।

(पीडी (एसएपी–।।)

12. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में जहां पर व्यय 50 प्रतिशत से अधिक है। देय किस्त का प्रस्ताव भारत सरकार को आगामी 7 दिवस में भेजा जाना सुनिश्चित करें और इस विषय की गंभीरता को देखते हुए जिन जिलों में एक से अधिक सांसद (राज्य सभा व लोकसभा) है उन जिलों के जिला कलक्टर्स को प्रमुख शासन सचिव महोदय कि ओर से प्रत्येक माह नियमित समीक्षा करने एवं समयबद्ध तरीके से किस्त जारी करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

(पीडी (एसएपी–।।)

13. सीसी रोड़ के मामले में क्वालिटी कन्ट्रोल का प्रावधान कर दिया गया है। अतः 1 सितम्बर, 2016 के पश्चात समायोजित होने वाली सीसी में यह सुनिश्चित किया जाए कि अनिवार्य रूप से टेस्टिंग हो गयी है और इसका प्रावधान IWMS सोफ्टवेयर में किया जाए।

(पीडी (मोएवंमू)

14. IWMS में महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ कन्वर्जेन्स का प्रावधान है। अन्य योजनाओं में भी कन्वर्जेन्स का प्रावधान किया जाए।

(पीडी (मोएवंमू)

15. जिला भीलवाडा, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ व चित्तोडगढ द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटर्स की अनदेखी की जाती हैं। उनको उचित रेस्पोन्स नहीं दिया जाता है यह गंभीर विषय है। भविष्य में लापरवाही के लिए उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

(अधीक्षण अभियन्ता, आवास / पीडी (एसएपी– I, II)

16. IWMS पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने व उसकी पालना का प्रावधान कर दिया गया है। समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अगस्त माह का निरीक्षण प्रतिवेदन उस पर ही अपलोड करेगें तथा प्रत्येक जिला निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाये गये विषयों का 15 दिवस में पालना किया जाना सुनिश्चित करेगें।

(पीडी (मोएवंमू)

(सी.एल.वर्मा)
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:–</u>

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग।
6. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस/एसएपी– I, II/मो. एवं मू., ग्रामीण विकास विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई ग्रामीण विकास विभाग।
9. मुख्य/अति0 कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
10. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु प्रेषित है।
11. सूचना सहायक, ग्रामीण विकास को संबंधित को ईमेल करने हेतु।

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)